>

Title: Need to issue guidelines to ensure bank loan facility to power generating and distribution companies in Rajasthan.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को शून्यकाल में उठाने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, इस देश में सुधार की आंधी चली, तो जितने भी बिजली बोर्ड थे, जो राज्य सरकार की अंडरटेकिंग कहलाते थे, उनको डिसमेंटल किया गया और उसकी जगह केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार बिजली कंपनियां बनाई गयीं जिसमें बिजली उत्पादन, निर्माण जैसी कंपनियां बन गयीं। मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान में बिजली कंपनियों की स्थिति बहुत दयनीय हो गयी। मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी इतनी दयनीय स्थिति क्यों हो गयी, तो उन्होंने कहा हमें वाणिज्यिक बैंकों ने या वित्तीय संस्थानों ने लोन देना बंद कर दिया है।

महोदय, यह स्थिति आपके राज्य में भी हो सकती है। मैंने उड़ीसा में पता किया है, वहां भी यही स्थिति है। उड़ीसा में सबसे पहले स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्मेंटल करके बिजली कम्पनियां बनाई गई थीं।

सभापति महोदय: राज्यों में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं। बिहार में है और झारखंड में भी है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: हो सकता है कि वे सही होंगे, लेकिन जहां डिस्मेंटल करके बिजली कम्पनियां बनीं, वहां हालत बद से बदतर हुए हैं और वित्तीय संस्थानों ने लोन देना बंद कर दिया है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बिजली रेजमर्रा के काम में आने वाला विषय है और आम आदमी से जुड़ा विषय है। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे क्षेत्र में साढ़े चार सौ बिजली के कुओं की फाइल पेंडिंग पड़ी है और डिमांड नोटिस जमा है। जब उनसे पूछता हूं कि आप कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास साधन नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि विद्युत मंत्री राजस्थान की बिजली कम्पनियों के सीएमडीज की बैठक बुलाएं और वित्तीय संस्थानों, बल्कि आरबीआई को भी बुलाकर निर्देशित करें कि इन्हें लोन दिया जाए ताकि जो काम पेंडिंग हैं, वे क्लियर हो सकें। 450 फाइलें तो मैंने एससी लोगों की बताई हैं, जनरल लोगों की फाइलें तो हजारों में हैं।

आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।